# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड, आर.ए.एस.

**राजस्व वाद संख्या 143/2012**

**वादीगण**

1. मोहनराम पुत्र मगाराम
2. उमाराम पुत्र मगाराम
3. मगलाराम पुत्र मगाराम
4. कुम्भाराम पुत्र मगाराम

सभी जातियान जाट निवासीगण ढाढणिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. धर्माराम पुत्र राणाराम
2. रतनाराम पुत्र राणाराम

जातियान जाट निवासीगण ढाढाणिया बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ हाल बालेसर

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता उपस्थित।
2. प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित।

## –:: निर्णय ::–

दिनांकः– 26/6/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रतिवादीगणों की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

वादी ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में मनगढत तथा बनावटी तथ्ये बनाकर पेश किया है जिसमें कतई सफलता मिलने की सम्भावना नही है। वादी का हस्तगस्त प्रकरण में नाम एक नामान्तरकरण के जरिये आया है तथा नामान्तरकरण के जरिये ही रेकर्ड दुरस्त होकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ है तथा नामान्तरकरण के विरूद्व अपील करने का अलग से प्रावधान है। हस्तगस्त विवादग्रस्त भूमि का परिवर्तन माननीय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बालेसर के आदेशानुसार तथा उसकी पालना में हल्का पटवारी ने जरिये नामान्तरकरण कार्यवाही की है तथा एक बार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्व भी किसी प्रकार की कार्यवाही वादी ने नही की है न ही उक्त प्रकरण का इसमें हवाला दिया है वास्तविक तथ्यों को छुपाकर स्वस्थ हाथो में न्यायालय में नही आये है तथा आदेश के विरूद्व

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Scanned by CamScanner

कार्यवाही करने का अलग से प्रावधान होने के कारण प्रकरण में किसी प्रकार की रिलीफ नही मिल सकती है सो वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी की प्रति वादीगण के अधिवक्ता को दिनांक 10.12.2014 को उपलब्ध करवाई गई। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :– राजस्व वाद में प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब–इदावा पेश किया जा चुका है एवं उक्त राजस्व वाद के साथ वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का पेश किया गया था जिस पर अदालत हाजा द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जा चुका है जिसका प्रतिवादीगण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय ने चाराजोरी नही की गई जिसकी अपीलीय अवधि भी समाप्त हो चुकी है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 271/6 रकबा 25 बीघा कृषि भूमि राजस्व ग्राम दुगर पटवार हल्का आगोलाई तहसील बालेसर को चन्दनसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपुत से जरिये रजिस्टर्ड बेचान द्वारा दिनांक 28.06.2000 को खरीद की जिसका वादीगण के नाम दिनांक 30.06.2000 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 38, पृष्ठ संख्या 14, क्रम संख्या 215 पर पंजीबद्व किया गया। उक्त भूमि चन्दनसिंह व 24–25 अन्य व्यक्तियों को आवंटन हुई थी तथा चन्दसिंह को खसरा नम्बर 271/6 रकबा 25 बीघा का खातेदारी अधिकार तत्कालीन तहसील द्वारा शेरगढ के आदेश क्रमांक/एस/आर/77/4533 दिनांक 25.10.1971 को प्रदान किया गया तथा उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 454 दर्ज किया गया जिसकी स्वीकृत होने पर चन्दनसिंह खसरा नम्बर 271/6 रकबा 25 बीघा का अभिलिखित खातेदार काश्तकार बनने के बाद उक्त आराजी का बेचान वादीगण को किया गया। प्रतिवादीगणों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पद संख्या 2 को जिस साफ–सफाई एवं ढग से लिखा गया है वो काबिले निरस्ती है। जो वादीगण को अस्वीकार है।

तारीख पेशी 15.05.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी अधिवक्तागणों द्वारा बहस की गई। बहस सूनी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद पत्र निम्नालिखित दशाओं में नामंजूर किया जाता है :–

1. जहॉ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
2. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहॉ वादपत्र मे के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह बताया गया है कि " तत्कालीन पटवारी आगोलाई में अपने कर्तव्य तथा जिम्मेवादी को ताक में रखते हुए वादीगण को हर वक्त अन्धेरे में तथा धोखे में रखते हुए छल करता रहा यानि जो भूमि खरीद की उसकी भौतिक स्थिति क्या है यह पटवारी ही बता सकता है तथा पटवारी ने उनको (वादीगण) को वास्तविकता से अनभिज्ञ रखते हुए किसी दूसरे रकबे को यह कहते हुए बताया कि आपने जो खसरा खरीद किया वो यह है तथा आप यहां पर अपना काश्त कार्य करें। जबकि जो खसरा या टुकडा बताया उसका रकबा 12 बीघा है। जबकि वादीगण ने 25 बीघा खरीद की है तथा जिस रकबे को वादीगण द्वारा खरीद किया गया है उस रकबे का विकेता खातेदार था एवंम उक्त खातेदारी अधिकार राज्य

उपखण्ड अधिकारी बालेसर

(2)

Scanned by CamScanner

सरकार द्वारा प्रदान किये गये है तथा भूमिधारी (राज्य) ने आवंटी को अधिकार विधिवत प्रदान करते हुए राजस्व रिकोर्ड में नामान्तरकरण अमल दरामद किया गया है। यह है कि बिनायदावा जब पैदा हुआ कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा ऐलानिया धमकी देने एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अलग–अलग लोगों के साथ बेचान आदि के संबंध में की गई छल एवं कपट से वादीगण को उसके खरीदसुदा रकबे पर कब्जा न देकर के किसी अन्य रकबे का कब्जा देने के लिए कहते हुए विश्वास दिलाया गया था कि आपका खरीदसुदा कब्जा आपको बताया गया वही है। लेकिन हकीकत कुछ अलग होने के कारण तत्कालीन पटवारी ने वादीगण को खुश करने के लिए तत्कालीन पटवारी ने अपने आपको जरिये सरकार बता करके 136 का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के यहां पेश किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय वादीगण के खरीदसुदा रकबे का इन्द्राज किसी दूसरे खसरान में बताते हुए निर्णय किया गया। जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन वो एक विविध प्रकिया है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण की खरीदसुदा रकबे का धारा 136 के प्रार्थना पत्र के निर्णय से उक्त खसरा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम इन्द्राज होने के कारण प्रतिवादी इसे आगे बैचान करने की धमकी आज से चार दिन पहले दी गई कि आप उक्त रकबा हमें बेचान कर देवे। अन्यथा हम अपने आप उक्त भूमि को आगे बेचान कर देगे के कारण पैदा हुआ। " अतः वादी स्वंय बता रहा है कि वादीगण ने उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में धारा 136 के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हुई है वाद वादीगण द्वारा धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा दिये आदेशानुसार स्वीकृत हुए नामान्तकरण से क्षुस्ध होकर ही प्रस्तुत किया गया है एवं इसी धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के आदेश के विरूद्व वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की गई है। अतः वादीगण अगर आदेश से व्यधित है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा किए गये आदेश अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत जब अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो इस न्यायालय में वाद चलने लायक नही है। चूंकि एक ही रिलीफ हेतु दो न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही वादी द्वारा की जा रही है एवं सक्षम न्यायालय में अपील द्वारा ही वादी, उक्त उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के आदेश के विरूद्व कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय को यह लगता है कि वादपत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वादीगणों का वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

फैसला आज दिनांक 26/6/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(कंचन राठौड)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

Scanned by CamScanner